[This question paper contains 24 printed pages.]

Your Roll No.

9993F

В

M. Com./II

Course 450 - INDUSTRIAL LAWS (Admissions of 2004 and onwards)

Time: 3 Hours Maximum Marks: 75

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: The maximum marks printed on the question paper are applicable for the candidates registered with the School of Open Learning. These marks will, however, be scaled down proportionately in respect of the students of regular colleges, at the time of posting of awards for compilation of result.

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी: इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

All questions are compulsory and carry equal marks.

Credit will be given for answers supported

by case laws, if any.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी के अंक समान हैं। निर्णय विधियों, यदि कोई हो, द्वारा पुष्ट किए गए उत्तरों को श्रेय दिया जाएगा। Discuss briefly various schemes provided under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत उपबंधित विभिन्न योजनाओं का संक्षेप में विवेचन कीजिए।

Or/अथवा

Attempt any three of the following:

5+5+5

(a) Delhi Public School, Meerut Road, Ghaziabad, is a covered establishment under the provision of the EPF & Act, 1952. During the course of the various inspection carried out in the institution, the Area Enforcement Officer noticed that contractors employees including canteen contractor, transport contractor, doctor and cycle stand contractor have not been covered by the Management for the purpose of extending PF benefits. Institution was asked to remedy the said situation by computing quantum of arrears dues to be paid in respect of said category of employees on 22-11-1966. No action was taken and thereafter notice for initiating proceeding under Section 7A(3) of the Act was issued on 22-1-1997.

Petitioners (DPS) submit that immediately thereafter reply was filed on 1-3-1997 mentioning therein that they are employees of Contractors and there does not exist master and servant relationship in between the Driver and petitioner's institution. Thereafter proceedings under Section 7A(3) of the Act has been finalized on 7-4-1997 and said amount has been worked out and has been realized from the establishment by attaching the account of institution under Section 8(F) of the Act. Petitioner has approached the Court contending therein that entire proceedings are void and without jurisdiction. Decide by citing a case law.

(b) On inspection of the premises, the enforcement officer of PF Organization found the strength of employees to be 22 which included 3 directors of the company who get remuneration from the company. He recommended that the respondent company be covered by the EPF Act. The respondent company challenged the coverage. Decide by citing a case law.

- The petitioner is a Public Sector Corporation (c) manufacturing petroleum product, having its factory at Manali employing 1,700 permanent workmen and that apart, it engages contractors. The respondents (APFC) directed the petitioner company to produce attendance register in r/o employees employed by the contractor from 1st Jan., 1967 onwards. The petitioner pleaded that it is not possible for the company to produce the said documents as the records are available with the contractors concerned. The petitioner filed a petition requesting the respondent to implead the contractors as parties. Without considering the said petition, the respondent passed order directing to pay the contributions to the workmen employed by the contractors. Hence, this writ petition before the Court. Decide by citing a case law.
- (d) Will the drivers engaged by the managers/officers of the company whose wages are reimbursed by the company through the managers and who have been provided with uniforms, foot-wears, monsoon

equipments, winter clothing and even overtime when their services were required by their managers beyond their duty hours, be covered under the EPF & MP Act?

निम्नलिखित में से कोई तीन कीजिए:

(क) दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरठ रोड, गाजियाबाद कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाला स्थापन है। संस्था में किए गए विभिन्न निरीक्षणों के दौरान, क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी ने देखा कि कैन्टीन ठेकेदार, परिवहन ठेकेदार, डॉक्टर और साइकिल स्टैण्ड ठेकेदार जैसे ठेकागत कर्मचारियों को प्रबन्धक वर्ग ने भविष्य निधि हितलाभ प्रदान करने के प्रयोजन के अन्तर्गत नहीं लिया है। संस्था को 22-11-1966 को कर्मचारियों के उक्त संवर्ग के बारे में प्रदत्त किए जाने वाली बकाया देय राशि के अभिकलन द्वारा उक्त स्थिति का उपचार करने के लिए कहा गया। कोई कार्यवाही नहीं की गई और तत्पश्चात 22-1-1997 को अधिनियम की धारा 7A(3) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करने के लिए नोटिस दिया गया। याची (DPS) का कथन है कि उसके तुरन्त बाद

1-3-1997 को उत्तर दाखिल किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि वे लोग ठेकेदार के कर्मचारी हैं और इ्राइवर तथा याची की संस्था के बीच स्वामी-सेवक सम्बन्ध नहीं बनता है। तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 7A(3) के अन्तर्गत 7-4-1997 को कार्यवाही पूरी कर दी गई और उक्त राशि का अभिकलन किया गया और अधिनियम की धारा 8(F) के अन्तर्गत संस्था के लेखे की कुर्की द्वारा राशि को वसूल कर लिया गया। याची ने न्यायालय के पास प्रतिवाद किया कि समस्त कार्यवाही शून्य और अधिकारिता के बाहर है। निर्णय विधि उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

- (ख) परिसर के निरीक्षण पर भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारी ने पाया कि कर्मचारियों की संख्या 22 है जिसमें कम्पनी से पारिश्रमिक पाने वाले 3 निदेशक शामिल हैं। उसने सुझाव दिया कि प्रत्यर्थी कम्पनी को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाए। प्रत्यर्थी कम्पनी ने इस पर आपित की। निर्णय विधि उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।
- (ग) याची एक सार्वजितिक क्षेत्रक निगम है जो पेट्रोलियम उत्पाद का विनिर्माण करता है। उसका मनाली में कारखाना है जिसमें 1,700 स्थायी कर्मकार हैं और उनके अतिरिक्त वह ठेकेदारों को भी काम पर लगाता है। प्रत्यर्थी (APFC)

ने याची कम्पनी को 1 जनवरी, 1967 से लेकर ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की हाजिरी का रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा। याची ने अभिवचन किया कि कम्पनी के लिए उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड सम्बन्धित ठेकेदारों के पास हैं। याची ने ठेकेदारों को भी पक्षकार बनाने के लिए प्रत्यर्थी से अनुरोध करने के लिए एक याचिका दाखिल की। उक्त याचिका पर विचार किए बिना प्रत्यर्थी ने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए अंशदान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित कर दिया। अत: न्यायालय में यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। निर्णय विधि उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

- (घ) क्या कम्पनी के प्रबन्धकों/अधिकारियों द्वारा लगाए गए वे ड्राइवर कम्पनी द्वारा जिनकी मजदूरी की प्रतिपूर्ति प्रबन्धकों के माध्यम से की जाती है और जिन्हें कम्पनी द्वारा यूनिफॉर्म, जूते, मानसून-उपस्कर, सर्दियों के वस्त्र और कार्य-समय के बाद प्रबन्धकों द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर अतिकालिक मजदूरी कम्पनी द्वारा दी जाती है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं?
- Discuss the provisions relating to the Employees State
 Insurance Court. Explain its constitution, powers and the

matters to be decided by the ESI Court? State the claims, which can be decided by the ESI Court.

कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय से सम्बन्धित उपबन्धों का विवेचन कीजिए। इसकी संरचना, शक्ति और इसके द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामलों को स्पष्ट कीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जा सकने वाले दावों का उल्लेख कीजिए।

Or/अथवा

Attempt any three of the following:

5+5+5

(a) The question that is involved in the appeal is whether "Manipal Sowbhagya Nidhi, Ltd." a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, is a "Shop" coming within the purview of Section 1(4) of the Employees' State Insurance Act, 1948, or under any notification issued under section 1(5) of the Act, including the Government notification, dated 9th January, 1987. The E.S.I. Court answered the said question in negative giving rise to the appeal by E.S.I. Corporation. Decide by citing a case law and relevant provisions.

(b) The ESI Corporation clubbed Jos Textiles and Jos Cut Piece Centre, two proprietary concerns of two brothers both functioning in the same building at Broadway, Ernakulam, for the purpose of ESI coverage and issued notice, as there were 20 or more employees at a time when the inspection was conducted. Notice was issued clubbing the above establishments. The order was challenged, as noted above, before the E.S.I. Court. The ESI Corporation also clubbed M/s. Rose Fabrics, Jos Brothers Silk and Sarees and M/s. Jos Associates and issued notice, claiming coverage. All these three establishments were functioning in Jos Annex Building, Emakulam. M/s. Jos Associates was functioning on the 5th floor of the same building whereas the other two establishments were functioning in the same premises. The inspection conducted in November 1990 revealed that there were 12 employees working in M/s. Rose Fabrics, 13 employees in Jos Brothers Silk and Sarees and 9 employees in M/s Jos Associates. The above order

clubbing the three establishments was challenged by M/s. Rose Fabrics in I.C. 44/91 before the E.S.I. Court, Alleppey. Decide by citing a case law and relevant provisions.

Petitioner is a limited company engaged in (c) manufacturing rain wears; air pillows, rubber canvas foot wear etc., in its small scale industrial unit. It is covered under the provision of the ESI Act. Petitioner offloads various work on piece rate basis to other units for stitching buttons hole fixing, taping, pasting, molding, mixing etc. The charges paid against such job work include the cost of job work and profit of the units who execute such job orders. Such units are independent and they do the job work of the petitioner as well as others at their own premises. Petitioner has no connection or control whatsoever on the said units. It has got no supervisory control over the day to day execution of the work. The said units submit their bills against such work and payment are made by cheque. Will a company manufacturing rainwear's and air pillows and covered under the ESI Act outsourcing various jobs on piecerate basis to other units be liable to pay ESI contributions for such job work done for other establishments the job of which is neither supervised nor controlled by the company?

(d) The security service has been provided for safe-guarding the property which has been purchased elsewhere and the security guards through agency were not, therefore, working in the premises of the factory. Can the security personnel engaged through Nasey and Ace Security Services be treated as employees of the respondent and fall under the definition of an employee as set out in Section 2(9) of the ESI Act and the payments made for security arrangements to the agency be treated as wages?

निम्नलिखित में से कोई तीन कीजिए:

(क) अपील में अन्तग्रंत प्रश्न यह है कि क्या "मणिपाल सौभाग्य निधि लि.", जं कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत एव सार्वजनिक सीमित कम्पनी है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(4) के क्षेत्र के भीतर अथवा दिनांक 9 जनवरी, 1987 की सरकारी अधिसूचना सिहत, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत जारी की गई किसी अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली एक 'दुकान' है? कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपील की गई। निर्णय विधि और सुसंगत उपबन्धों का उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दो भाइयों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान जॉस टेक्सटाइल्स और जॉस कटपीस सेन्टर, जो ब्रॉडवे एर्नाकुलम में एक ही भवन में चल रहे थे, कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत व्याप्ति के प्रयोजनार्थ एक साथ संयोजित किया और नोटिस जारी किया. क्योंकि निरीक्षण किए जाने पर एक ही समय पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। उपर्युक्त आदेश को कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में चुनौती दी गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मैसर्स रोज फैब्रिक्स, जॉस ब्रदर्स सिल्क एण्ड सारीज और मैसर्स जॉस एसोशिएट्स को भी एक साथ संयोजित करते हुए बीमा व्याप्ति का दावा करते हुए नोटिस जारी किया। यें तीनों प्रतिष्ठान जॉस अनेक्स बिल्डिंग. एर्नाकुलम में चल रहे थे। मैसर्स जॉस एसोसिएट भवन के पाँचवें तल पर थे और शेष दो उसी परिसर में कार्य करते थे। नवम्बर, 1990 में किए गए निरीक्षण से पता

चला कि मैसर्स रोज़ फैब्रिक्स में 12 कर्मचारी काम करते हैं, जॉस ब्रदर्स सिल्क एण्ड सारीज में 13 कर्मचारी और मैसर्स जॉस एसोसिएट में 9 कर्मचारी काम करते हैं। इन तीनों प्रतिष्ठानों को संयोजित करने वाले उक्त आदेश को मैसर्स रोज़ फैब्रिक्स ने कर्मचारी बीमा न्यायालय, अलेप्पी में I.C. 44/91 में चुनौती दी। निर्णय विधि और सुसंगत उपबन्धों को उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

(ग) याची अपनी एक लघु उद्योग इकाई में बरसाती वस्त्र, वायु-तिकए, रबर कन्वैस जूते आदि का विनिर्माण करने वाली एक सीमित कम्पनी है। वह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आती है। याची काज करने, फिक्सिंग, टेपिंग, पेस्टिंग, मोल्डिंग, मिक्सिंग आदि के लिए अन्य इकाइयों को उजरती दर के आधार पर काम देती है। इस प्रकार के फुटकर काम के लिए दिए गए प्रभार में फुटकर काम की लागत और इस प्रकार के काम को निष्पादित करने वाली इकाइयों का लाभ शामिल होता है। ये इकाइयाँ स्वतन्त्र हैं और वे याची का और दूसरों के फुटकर काम अपने ही परिसर पर करते हैं। याची का उक्त इकाइयों से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है न उन पर कोई नियन्त्रण है। उसका काम के दैनिक निष्पादन पर कोई पर्यवेक्षी नियन्त्रण नहीं है। उक्त इकाइयाँ ऐसे काम के लिए अपने बिल देती हैं और चेक द्वारा [P. T. O. उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। क्या बरसाती वस्त्र और वायु-तिकयों का विनिर्माण करने वाली और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की व्याप्ति में आने वाली अन्य इकाइयों से उज़रती दर पर विभिन्न कामों को करवाने पर अन्य स्थापनों के लिए किए गए फुटकर काम के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान करने के लिए दायी है, जबिक इस प्रकार का फुटकर काम न तो कम्पनी द्वारा पर्यवेक्षित होता है और न नियंत्रित?

- (घ) अन्य स्थान पर खरीदी गई सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवा प्रदान की गई है और अतएव अभिकरण द्वारा लगाए गए सुरक्षा-गार्ड कारखाने के परिसर में काम नहीं कर रहे थे। क्या नैसे एण्ड ऐस सिक्योरिटी सर्विसेज के माध्यम से नियुक्त सुरक्षाकर्मियों को प्रत्यर्थी के कर्मचारी माना जा सकता है और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) में यथा निर्धारित कर्मचारी की परिभाषा के अन्तर्गत लिया जा सकता है और अभिकरण को सुरक्षा-व्यवस्था के लिए किए गए भुगतान को मजदूरी माना जा सकता है?
- 3. Explain the various health and welfare provisions for factory workers under the Factories Act, 1948. 15 कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाना-कर्मकारों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपबन्धों को स्पष्ट कीजिए।

Or/अथवा

Attempt any three of the following:

5+5+5

- (a) Distinguish between ESI Act, 1948 and Workmen's Compensation Act, 1923.
- (b) Explain clearly the meaning of the terms Industry, and Strike as provided in the Industrial Disputes Act, 1947.
- Force wanted to form an organisation of their own and for that purpose constituted the Karmachari Union in 1966 and applied for its registration under the Trade Union Act, 1926. Initially the registration asked for was declined. Then Act 33 of 1966 was enacted. It came into force on 2nd December, 1966. An application for recognition was again made on 9th December, 1966. Recognition was granted by the Central Government on 12th December, 1966. The Non-Gazetted members of the Delhi

Police Force were permitted to become members of the Sangh. On 12th December, 1966, the Central Government made rules under the Act which were amended in December, 1970. The Circular, which attempts to de-recognize the Sangh, was issued under these rules. This occasioned the filing of the writ petition. The first appellant is the Non-Gazetted Karmachari Sangh and the appellant Nos. 2 to 7, its members. Decide by citing a case law and relevant provisions.

(d) The employees of the Water Supply and Power Distribution Department of the Devasthanam are about 200 in numbers. They formed themselves into a union and applied for the union being registered under the Trade Unions Act, 1926. The Registrar having been satisfied that all the formalities required under the Act have been complied with the registered union issued a Registration Certificate, on the 10th July, 1970. The General Secretary of the union wrote to the Executive Officer of the Devasthanam that the Departments had formed themselves into a union

and the union is registered under the Trade Unions Act on 23rd May, 1970. He requested that the union may be recognised at an early date. A reminder was again sent on 11th march, 1971 and 21st June, 1971. The question involved in this case is whether the Tirumala Tirupathi Devasthanam can be considered to be an industry and the persons employed by it are workmen and whether they can register themselves into a trade union? Decide by citing a case law and relevant provisions.

निम्नलिखित में से कोई तीन कीजिए:

- (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में विभेद कीजिए।
- (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा उपबंधित उद्योग और हड़ताल पदों के अर्थ सुस्पष्ट कीजिए।
- (ग) दिल्ली पुलिस बल के अराजपित्रत सदस्य अपना एक निजी संगठन बनाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए 1966 में उन्होंने कर्मचारी संघ गठित किया और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन

किया। पारम्भ में पंजीकरण अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1966 का अधिनियम 33 अधिनियमित हुआ और वह 2 दिसम्बर. 1966 से प्रभावी हुआ। 9 दिसम्बर, 1966 को पंजीकरण के लिए फिर आवेदन किया गया। केन्द्र सरकार ने 12 दिसम्बर, 1966 को मान्यता प्रदान की। दिल्ली पुलिस बल के अराजपत्रित संदस्यों को उक्त संघ का सदस्य बनने की अनुमित दे दी गई। 12 दिसम्बर, 1966 को केन्द्र सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए जिसको दिसम्बर. 1970 में संशोधित किया गया। संघ की मान्यता वापस लेने से सम्बन्धित परिपत्र इन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया था। इसकी वजह से रिट याचिका दाखिल की गई है। पहला अपीलार्थी अराजपत्रित कर्मचारी संघ है और क्रमांक 2 से 7 तक के अपीलार्थी उसके सदस्य हैं। निर्णय विधि और सुसंगत उपबन्ध उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

(घ) देवस्थानम् के जल प्रदाय और शक्ति वितरण विभाग के कर्मचारियों की संख्या लगभग 200 है उन्होंने अपना एक संघ बनाया और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत संघ को पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया। रजिस्ट्रार ने यह सन्तुष्ट होने पर कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पालन हो गया है, 10 जुलाई, 1970 को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। संघ के महासचिव ने 23 मई, 1970 को देवस्थानम् के कार्यपालक अधिकारी को लिखा कि विभागों ने अपना एक संघ बनाया है और व्यवसाय संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो गया है। उसने अनुरोध किया कि संघ को शीघ्र मान्यता प्रदान कर दी जाए। 11 मार्च, 1971 और 21 जून, 1971 को अनुस्मारक भेजे गए। इस मामले में अंतर्ग्रस्त प्रश्नयह है कि क्या तिरुमल तिरुपति देवस्थानम् को उद्योग और इसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को कर्मकार माना जा सकता है और क्या वे अपने आपको व्यवसाय संघ के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं? निर्णय विधि और सुसंगत उपबन्धों को उद्धृत करते हुए विनिश्चय कीजिए।

4. What is the significance of available surplus? For an accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus. How would you treat this excess for the purpose of payment of bonus?

उपलब्ध अधिशेष का क्या महत्व है? एक लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष अधिकतम बोनस की राशि से अधिक है। बोनस भुगतान के प्रयोजन के लिए आप इस आधिक्य को किस प्रकार निरूपित करेंगे? 9993F (20)

Or/अथवा

Attempt any three of the following:

5+5+5

- The workman had been in service from 18.05.1990. (a) On 25.12.1990, he suffered a cerebral stroke while at sea. He was therefore, taken ashore and was treated in a hospital. Thereafter, in Jan. 1991, he was repatriated to India and was admitted to hospital for further treatment. On 11.02.1991, respondent's son has discharged him from the hospital against the medical advice and returned to their native place. The respondent workman claims an amount of ₹ 15 lakh as compensation from the appellant shipper contending that he was suffered from an accident arising out of and in the course of employment. Decide, if the workman is entitled to compensation?
- (b) In the facts of this case, the workman was entirely free of any existing heart ailment at the time of employment. The workman had undergone full medical checkup before he was allowed to board the vessel. The medical history of the workman which

was scrutinized by the medical board of the corporation would show the absence of any prior history related to a heart ailment. Discuss, the workman's heart ailment which he suffered while on board is attributable to course of his employment?

- (c) The deceased driver was entrusted the duty of driving the bus on a particular route. The deceased was free to go home after duty hours, yet he stayed back for rest on the terrace of the bus stand. In the morning while getting down from the terrace, the deceased tumble down resulting in his death. Decide, if the cause of accident is connected with the nature of employment and the employer is liable to pay compensation.
- (d) Where a workman on duty was bitten by a scorpion and during operation, therefore, while under treatment as an indoor patient in the hospital developed tetanus and ultimately died. Will the employer be liable to give compensation under the Workmen's Compensation Act, 1923? Cite cases, if any.

निम्नलिखित में से कोई तीन कीजिए:

- (क) कर्मकार 18.05.1990 से सेवा में था। 25.12.1990 को वह समुद्र में था, जहाँ वह प्रमस्तिष्कीय आघातग्रस्त हो गया। अतएव उसे तट पर लाया गया और अस्पताल में उसका उपचार किया गया। तत्पश्चात् जनवरी 1991 में उसे भारत वापस भेज दिया गया और आगे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। 11.02.1991 को प्रत्यर्थी के पुत्र ने चिकित्सक सलाह के विरुद्ध उसे अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी और अपने मूल स्थान वापस ले आया। प्रत्यर्थी कर्मकार ने अपीलार्थी पोत कम्पनी से क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 15 लाख की राशि का इस आधार पर दावा किया कि वह अपने नियोजन से उद्भूत और नियोजन को दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विनिश्चय कीजिए कि क्या कर्मकार क्षतिपूर्ति का हकदार है?
- (ख) इस मामले के तथ्य यह हैं कि कर्मकार नियोजन के समय किसी विद्यमान हृदय रोग से पूर्णत: मुक्त था। जहाज पर यात्रा करने की अनुमित दिए जाने से पूर्व उसकी पूरी चिकित्सकीय जाँच की गई थी। कर्मकार के चिकित्सा वृत्त भी, जिसकी निगम के चिकित्सा बोर्ड ने भी संवीक्षा की थी, प्रमाणित करता है कि उसका हृदय रोग से सम्बन्धित कोई पूर्ववृत्त नहीं था। विवेचन कीजिए कि क्या कर्मकार

को जहाज पर हुआ हृदय रोग नियोजन के दौरान हुआ माना जा सकता है।

- (ग) मृत ड्राइवर को एक मार्ग विशेष पर बस चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। कार्य-समय के बाद उसे घर जाने की छूट थी, किन्तु वह बस अड्डे की छत पर आराम करने के लिए रुक गया। सुबह छत से उतरते समय, मृत लुढ़क गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विनिश्चय कीजिए कि क्या दुर्घटना का कारण उसके नियोजन की प्रकृति से सम्बन्धित है और नियोक्ता प्रतिकर देने के लिए दायी है।
- (घ) कर्मकार को काम पर होने के समय एक बिच्छू ने काट लिया और अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में उपचार के अन्तर्गत ऑपरेशन के दौरान उसे टिटनस हो गया और अंतत: उसकी मृत्यु हो गई। क्या नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत प्रतिकर देने के लिए दायी होगा? केस, यदि कोई है, उद्धृत कीजिए।
- 5. Write short notes on any three of the following: 5+5+5
 - (i) Forfeiture of Gratuity under Payment of Gratuity

 Act
 - (ii) Fixing minimum rates of wages under the Minimum Wages Act

- (iii) Wages under Payment of Wages Act
- (iv) Authorized deductions under Payment of Wages Act
- (v) Political fund under the Trade Union Act.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत उपदान का समपहरण
- (ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दर नियत करना
- (iii) मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी
- (iv) मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत कटौतियाँ
- (v) व्यवसाय संघ अधिनियम के अन्तर्गत राजनीतिक निधि।